# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## प्रेस नोट संख्याः 359, दिनांक 11–12–2025

### फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11–12–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 02 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–**

1– अभिषेक शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी 3/3336 कपिल विहार, शिव मन्दिर के निकट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

2– शुभम शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी 3/3336 कपिल बिहार, शिव मन्दिर के निकट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी–**

1– 02 अदद मोबाईल फोन
2– फर्जी फर्म से संबंधित प्रपत्र कुल 31 वर्क

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–**

आलमबाग मवैया रोड पर टेडी पुलिया तिराहे के पास। दिनांक 11–12–2025 समय लगभग 04.20 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश द्वारा फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने के संबंध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0–182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं अभिसूचना संकलन की कार्यवाही श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 मनोज कुमार, मु0आ0 सुनील सिंह, मु0आ0 विनोद सिंह, मु0आ0 गौरव सिंह, मु0आ0 प्रशान्त सिंह, मु0आ0 प्रभाकर पाण्डेय, मु0आ0 रणधीर सिंह, मु0आ0 के0के0त्रिपाठी, मु0आ0 शेरबहादुर की टीम द्वारा की जा रही थी।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एबॉट कम्पनी का दिल्ली का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एवं अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक शर्मा तथा शुभम् शर्मा उपरोक्त किसी काम से लखनऊ आये हुए है, जो बस अड्डा पर उतरकर हजरतगंज में किसी से मिलने जाने वाले है। इस सूचना पर विश्वास कर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

विस्तृत पूछताछ में अभिषेक शर्मा ने बताया कि वर्ष–2019 से विशाल सिंह एवं विभोर राणा के यहां जी0आर0 ट्रेडिंग दवा की फर्म में काम कर रहा था। शुरू में मैं जी0आर0 ट्रेडिंग में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य देखा करता था एवं उससे संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करता था। विभोर और विशाल जी0आर0 ट्रेडिंग में एबॉट कंपनी की अन्य दवाओं के साथ फेन्सेडिल कफ

सिरप मंगाते थे एवं फर्जी फर्म के माध्यम से खरीद बिक्री दिखाकर नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए तस्करों को सप्लाई करते थे, जो बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजते थे। फर्जी बोगस फर्म को बनाने में और उनकी खरीद बिक्री दिखाने में इनका सहयोग सी0ए0 अरुण सिंघल करता था। अरुण सिंघल ने उनके यहां काम करने वाले बिट्टू कुमार व सचिन कुमार के नाम पर सचिन मेडिकोज नाम से एक फर्म सहारनपुर में तथा सचिन मेडिकोज के ही नाम पर दूसरी फर्म भगवानपुर रुड़की में बनाई। यह लोग एबॉट कंपनी से मंगाई हुई फेन्सेडिल कफ सिरप को पहले उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश की दवा फर्म को कागजों में बेचना दिखाते थे और फिर पुरा माल को बिट्टू कुमार के नाम पर बनी सहारनपुर वाली फर्म सचिन मेडिकोज में खरीद लेना दिखाते थे और फिर फर्जी ई–वे बिल तैयार कर तस्करों को बेच देते थे। वर्ष 2021 में इन लोगों का माल कई जगह पकड़ा गया, जिसमें मालदा पश्चिम बंगाल के मुकदमे में 2022 में विभोर राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल से छूट कर आने के बाद इन लोगों ने जी0आर0 ट्रेडिंग से काम करना बंद कर दिया। जी0आर0 ट्रेडिंग से काम बंद हो जाने के बाद एबॉट कंपनी के अधिकारियों से मिलीभगत कर विशाल सिंह की फर्म बी0एन0 फर्मास्युटिकल के लाइसेन्स पर सहारनपुर के केयरिंग एंड फारवर्डिंग एजेंट(सीएफए) बन गए जबकि फेन्सेडिल कफ सिरप की तस्करी में छोटा भाई विभोर राणा जेल गया था। सचिन मेडिकोज के नाम से जो फर्म भगवानपुर रुड़की में बनी थी उसका नाम दिसंबर 2023 में बदलकर मारुति मेडिकोज कर दिया। इस दौरान जी0आर0 ट्रेडिंग से काम बंद हो जाने पर अरुण सिंघल उनके यहां से काम छोड़कर चला गया। अरुण सिंघल ने विशाल और विभोर के कहने पर मेरे भाई शुभम शर्मा, बालाजी संजीवनी, मुनेश पुंडीर, विष्णु प्रिया बिट्टू, के नाम पर चरण पादुका के नाम से तथा अन्य कई बोगस फर्म उनके नौकरों तथा परिचितों के नाम पर बनाई थी। इन् फर्मों से भी फेनसेडिल की फर्जी क्रय विक्रय दिखाया गया। अरुण सिंघल के कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद विभोर राणा तथा विशाल सिंह के कहने पर मैं मारुति मेडिकोज का काम देखने लगा। मारुति मेडिकोज को जनवरी 2024 में एबॉट ने उत्तराखंड का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। उसके सभी बिल पर मैं ही सचिन कुमार के नाम पर साइन करता था तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन भी मैं ही करता था। इसी दौरान मेरे नाम पर भी दिल्ली में एक फर्म ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स पप्पन यादव के पार्ट्नरशिप में बनवा दी जिसका सारा काम विशाल सिंह एवं विभोर राणा का साथी सौरभ त्यागी और पप्पन यादव देखा करते थे। मैं सिर्फ दो ही बार ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स दिल्ली में गया हूँ। विशाल और विभोर मारुति मेडिकोज में जो भी फेन्सेडिल कफ सिरफ मंगाते थे उसको दीपक राणा जो कि इनके गाँव अम्बेहटा चांद का रहने वाला है एवं अब भगवानपुर, रूडकी में रहने लगा है तथा रुड़की के ही संदीप शर्मा एवं देहरादून का मेघराज एंड संस तथा पार्थ मेडिकोज का पार्थ अरोड़ा आदि अपनी तथा उनके परिचितों के नाम बनी करीब 65 फर्मों की बिक्री कागजों में दिखा दी जाती थी जबकि माल मारुति मेडिकोज पर ही रहता था और फिर उन्हें उन सभी फार्मो से फेन्सेडिल कफ सिरफ की बिक्री लाभ पर मेरे नाम पर बनी ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स को बिल कर दिया जाता था। इसके बाद सौरभ त्यागी के माध्यम से विभोर राणा एवं विशाल उसको आगरा बनारस गोरखपुर कानपुर लखनऊ आदि के माध्यम से फर्जी ई–वे बिल आदि बनाकर उसे मालदा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा आदि के रास्ते से चोरी से बांग्लादेश के लिये तस्करों को भेज देते थे। अप्रैल 2024 में मारुति मेडिकोज तथा ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से भेजी गई फेन्सेडिल कफ सिरप जो कि सीतापुर के 02 स्टॉकिस्ट जिसका ड्रग लाइसेंस पूर्व में ही निरस्त हो गया था के नाम पर फर्जी ई–वे बिल आदि बनाकर हम लोगों ने भेजा था परन्तु लखनऊ में एस0टी0एफ0 टीम द्वारा पकड़ लिया गया था। जब मारुति मेडिकोज और ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स के नाम पर नोटिस आने लगी तब विभोर राणा ने सचिन कुमार की बीमारी का फर्जी मेडिकल बनवाकर मुझे मारुति मेडिकोज की तरफ से अधिकृत बयान दर्ज करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर बनवाया। दिसंबर 2024 में एबॉट कंपनी ने फेन्सेडिल कफ सिरप बनाना

बंद कर दिया और मारूति मेडिकोज और ए0बी0 फार्मास्यूटिकल्स तथा सभी सी0एफ0ए0 से माल वापस लेकर शैली ट्रेडर्स को दे दिया। फिर हम लोगों ने ए0वी0 फार्मास्युटिकल से सौरभ त्यागी के माध्यम से स्कॅफ तथा ऑनेरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने लगे। पिछले महीने दिनांक 11–11–2025 को आप लोगों द्वारा विशाल सिंह, विभोर राणा, सचिन कुमार और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से हम दोनों ने अपना नंबर बंद कर लिया तथा अंबाला में छुप कर रह रहे थे।

अभियुक्त शुभम शर्मा ने बताया कि मैं इन्टर तक पढ़ाई किया हूँ और 2017 में दुबई चला गया था। दुबई पोर्ट वर्ल्ड (डीपीडब्ल्यू) में पोर्ट आपरेशनल ऑफिसर के पद पर नौकरी किया। मैं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। इसलिए वापस इंडिया आ गया यहां आने पर बड़े भाई अभिषेक के माध्यम से विशाल सिंह एवं विभोर राणा से मुलाकात हुई। इन लोगों ने मुझे बिजनेस करने की बात कही और मुझसे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि ले लिया तथा मेरे नाम पर श्री बालाजी संजीवनी नाम से एक फर्म बना दी। शुरुआती क्रय विक्रय मारुति मेडिकोज से करायी फिर एबॉट कंपनी का कोड खुलवाकर बी0एन0 फार्मास्यूटिकल से मेरी फर्म को फेन्सेडिल कफ सिरप की खरीद बिक्री दिखाने लगे। यह सारा काम विशाल सिंह तथा विभोर राणा देखते थे और मुझे हर महीने लगभग रूपये 1,00,000/– देते थे। श्री बालाजी संजीवनी में करीब 8 माह तक काम चला था। इस दौरान मुझे करीब 8 लाख मिले। मैं विशाल व विभोर के साथ बतौर ड्राइवर आता जाता था। विभोर राणा पहले अपना माल शुभम जायसवाल को बनारस मे देते थे। बाद में शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम पर रॉची में एबॉट से सुपर डिस्ट्रीब्यूसनशिप ले ली थी। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में तस्करी में संलिप्त पश्चिम बंगाल के अपने 2 अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी दी है जिनके बारे में अभिसूचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक और शुभम उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0–182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही एस0टी0एफ0 द्वारा की जाएगी।

## <u>अभियुक्त अभिषेक शर्मा का आपराधिक इतिहास–</u>

1. मु0अ0सं0 182/24 धारा 420/467/468/471/120बी/34/201 भा0द0वि0 थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 691/25 धारा 336(3)/319(2)/318(4)/3(5) बी0एन0एस0 व धारा–8/22/29/36/60 एन0डी0पी0एस0 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।